छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

मार्च, 2022 सत्र

सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 को

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री संतराम नेताम, सदस्य द्वारा

दिनांक 07 मार्च, 2022 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
11. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
12. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
16. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. एक मुश्त 2500 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. कृषि आधारित शिक्षा– सभी शासकीय विद्यालयों में कृषि शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक विषय के रूप में शामिल किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन कन्या पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई की स्थापना का उल्लेख नहीं है ।
4. घोषणा–पत्र के अनुरूप पचास हजार रिक्त शिक्षकों के पदों को भरकर छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अनुपात को कम किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. आर्सेनिक आयरन वाले अशुद्ध पेयजल स्त्रोतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही है।
6. राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति असमय हो रही मौतों को रोकने की किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. "जवाहर सेतु योजना" के तहत राज्य के समस्त पहुंच विहिन गांवों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी नदियों एवं नालों पर पुलों का निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में रॉयल्टी चोरी रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. शासकीय कार्यालयों में फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है।
11. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।
12. जनसंख्या एवं विकास के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन रूपये 70 लाख ग्राम विकास निधि का आवंटन एवं नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों के लिए औसतन 1 करोड़ रूपये की ग्राम विकास निधि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. छत्तीसगढ़ विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा किये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. समस्त लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

15. विद्यामितान, जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

16. पारदर्शी और तय समय पर राजस्व न्यायालय के प्रकरणों को निराकरण हो, ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है इसकी कार्य योजना बनाई जाने का उल्लेख भी नहीं है।

17. किसानों के मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण माफ करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

18. शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री. स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जाएगा और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

19. मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

20. संपत्ति कर को ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्णतः समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दिये जाने का का उल्लेख नहीं है।

22. सामुदायिक खेती हेतु सरकारी भूमि पर कृषि क्षेत्र स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

23. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

24. अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

25. अधिवक्ता कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

26. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

27. पुलिस कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

28. राज्य के प्रत्येक ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने व अनुदान दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये समाधानकारक हल का उल्लेख नहीं है।

30. कक्षा 1 से 5 तक के विशेष आहार जरूरतों वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

31. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

32. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज की खरीदी हेतु बेरोजगार युवकों की समिति बनाये जाने व उस क्षेत्र की आबादी के अनुपात में अजा, अजजा, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के युवकों को शामिल कर अनुदान प्रदाय किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

33. जामवंत योजना का उल्लेख नहीं है।

34. गजराज योजना का उल्लेख नहीं है।

35. आदिवासी क्षेत्रों में गौंण खनिज के उत्खनन हेतु बेरोजगार युवकों की समिति बनाये जाने व उस क्षेत्र की आबादी के अनुपात में अजा, अजजा, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के युवकों को शामिल किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

36. सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को आरएमएसए के परामर्श के अनुरूप उन्नत कर पूर्णतः सुविधायुक्त बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

37. गांव के तालाब के पास ट्यूबवेल स्थापित करने व तालाबों में आधुनिक स्नान घाटों का निर्माण जिसमें महिलाओं के लिए अलग घाट की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. लोक–कला को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक केन्द्र विकसित किये जाने तथा भारत भवन के मॉडल अनुरूप 4 बड़े शहरों में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

39. आईओएफ द्वारा अनुमोदित हर खेल के लिए एसएआई प्रशिक्षक की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

40. प्रत्येक जनपद एवं जिला पंचायत को खेल विकास कोष आवंटित नहीं किया जा रहा है।

41. ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेल को राज्य में बढ़ावा दिये जाने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

42. प्रत्येक सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त किये जाने का उल्लेख नहीं है।

43. खिलाड़ियों को दो गुनी छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को शामिल नहीं किया गया है।

44. राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए डीए और टीए बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

45. शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं नगर पंचायतों के दायरे में आने वाले उद्योगों से संपत्ति कर की दर को घटाये जाने का उल्लेख नहीं है।

46. जिला पर्यटन कोष स्थापित कर पर्यटन से मिल रही राशि को स्थानीय विकास में लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश के कुंओं का संरक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में स्वाइल टू सिलक योजना के अंतर्गत बुनकरों को मुफ्त धागा मशीन वितरित करने का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में सोलर योजना के तहत नेट बिलिंग योजना को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में सिंचाई रकबा दुगना करने का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

52. मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

53. मानव तस्करी की रोकथाम हेतु उपायों एवं कड़े प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं है।

54. किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस का भुगतान किश्तों में किये जाने का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में काईम जैसे लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, गांजा तस्करी की रोकथाम हेतु कोई भी प्रभावी योजाना का उल्लेख नहीं है।

56. किसानों के लिए दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और फसल बीमा के लिए सम्मिलित बीमा पॉलिसी शुरू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

57. प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ सरकारी भूमि में उद्यानिकी योजना का संचालन का उल्लेख नहीं है।

58. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहरों में रात में तिरंगा ऑटो चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

59. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रूपये मासिक वेतनमान दिये जाने व 5000 मितानिनों की नवीन नियुक्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

60. नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

61. वरिष्ठ नागरिकों के लिये पौष्टिक आहार योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

62. दिव्यांग महिलाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

63. दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को प्रमाण–पत्र तथा सहायता राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

64. मांझी, मुखिया एवं चालाकी को दिये जाने वाले भत्ते को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश की समस्त सरकारी स्कूलों में कुपोषण, ऐनिमिया तथा अन्य बीमारियों के उपचार हेतु नियमित स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किये जाने ताकि मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

66. प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने हेतु इंटरजेनरेशन इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाये जाने व इसके लिये वैज्ञानिक आयोग की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

67. छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए अभियान शुरू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

68. प्रदेश के 10 लाख युवाओं को न्यूनतम 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।

69. प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा देने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

70. शहरी आवासहीन परिवारों को 02 कमरों को मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

71. इस वर्ष राजीव गांधी न्याय योजना में भुगतान कब–कब किया जावेगा, का उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

73. प्रदेश में शराब की बिक्री में पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

74. वर्ष 2022–23 में कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका उल्लेख नहीं है।

75. आउट सोर्सिंग किस–किस विभाग में कहां–कहां बंद हुई का उल्लेख नहीं है।

76. यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम प्रारंभ करने व बाह्य रोगियों को दवाई व जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

77. प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाये गये अधिकतम वेट टैक्स को कम कर मंहगाई कम करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश के शिल्पकारों को अनवरत रोजगार मुहैया कराने सुनिश्चित कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

79. वर्तमान सरकार आने के पश्चात् से प्रदेश में अवैध कटाई व वन क्षेत्र लगातार घटने लगा है, इस पर रोक लगाने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

80. वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने पेंशन राशि पर वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

81. अटल नगर, नवा रायपुर में उच्च गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावाये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

82. पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अनवरत रोजगार दिलाये जाने की किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।

83. कुपोषण से बच्चों की मौत को रोकने हेतु सशक्त कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

84. प्रदेश के राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को रोकने के लिये कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

85. प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

86. शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

87. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

88. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

89. प्रदेश सरकार की कर्ज लेकर कार्य करने की आदत को समाप्त नहीं हो रही है और लगातार छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है। वर्तमान में कर्ज लेने को समाप्त करने में सरकार पूर्णतः असफल रही है।

90. कोरोना महामारी में जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य अर्थात् महंगाई को रोकने में शासन असफल रहा है।

91. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण करने में शासन असफल रहा है।

92. रायपुर में स्काई वॉक के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

93. सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुरूप ग्राम पंचायत हथनी में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

94. विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर अंतर्गत मोहभट्ठा (बिल्हा) फाटक पर रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

95. कानन पेंडारी बिलासपुर में वन्य प्राणियों की हो रही मौतों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

96. नगर पंचायत बोदरी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

97. जिला बिलासपुर मंगला पा (मटियारी)–करहीबाजार मार्ग शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

98. ग्राम बरतोरी, ग्राम पंचायत बरतोरी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

99. बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पथरिया, जिला मुंगेली एवं बिल्हा, जिला बिलासपुर में सामुदायिक नल–जल योजना को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

100. जिला मुंगेली अंतर्गत मनियारी बैराज व केनाल के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

101. प्रदेश में लोकपाल अधिनियम लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

102. प्रदेश में सर्व वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 1500 रूपये पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

103. प्रदेश के समस्त महिला स्व–सहायता समूहों का कर्ज माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

104. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

105. प्रदेश के किसानों के बिजली देयक की संपूर्ण राशि माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

106. नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्ति कर आधा (50 प्रतिशत) किये जाने का उल्लेख नहीं है।

107. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

108. उच्च चिकित्सा विशेषज्ञ की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

109. प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को घर व बाड़ी हेतु भूमि प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

110. पेसा कानून लागू करने का उल्लेख नहीं है।

111. वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से होने वाली वन्य प्राणियों की मौत के पश्चात् भी इनके संरक्षण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

112. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

113. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है इसे रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

114. नगर सैनिकों के वेतन वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

115. कामधेनू सुरक्षा के लिये प्रत्येक जिलों में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

116. छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को केन्द्र के समान मंहगाई भत्तों का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम हरदी जिला–राजनांदगांव में स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. ग्राम–पंचायत धर्मापुर एवं आश्रित ग्राम बरगाही, जिला राजनांदगांव में विकास कार्य स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।
3. ग्राम–सुकुल दैहान, जिला–राजनांदगांव में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. ग्राम–पंचायत टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव के अंतर्गत कोलिहा धरसा चौक से शिव मंदिर मुढ़ियार रोड तक लगभग 1.5 किलो मीटर डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. राजनांदगांव नगर में पुराना ढाबा मुख्य मार्ग से फायर स्टेशन पहुंच मार्ग लगभग 1.5 किलो मीटर डामरीकरणका कोई उल्लेख नहीं है ।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकुल देहान जिला–राजनांदगांव में आइसोलेशन वार्ड (दस बिस्तर) हेतु सवीकृति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. ग्राम–पंचायत ककरेल, जिला–राजनांदगांव में सी.सी. रोड सह नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।
8. ग्राम–चिचबोड़ में समरसता सामुदायिक भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
9. ग्राम–ईरागुड़ा, जिला–राजनांदगांव के आबादी पारा में कला मंच पक्की नाली, सांस्कृतिक उलामंच बोर खनन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
10. जामा मस्जिद पठानपारा, राजनांदगांव के बोर खनन एवं सबमर्सिबल पम्प के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. ग्राम–पंचायत डिलापहरी, जिला–राजनांदगांव में सी.सी. रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
12. ग्राम–पंचायत पार्रीकला से सुन्दरा पहुंच मार्ग एवं पार्रीकला से भेड़ीकला पहुंच मार्ग का जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
13. ग्राम–पंचायत सिंघौरी, जिला–राजनांदगांव में हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
14. मुख्य सड़क से भोरमपुर (कला), जिला–राजनांदगांव तक पक्की रोड़ निर्माण बनवाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

15. ग्राम–पंचायत पार्रीखुर्द, जिला–राजनांदगांव के SCA-LWE मद से ग्राम–कुसमी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

16. ग्राम–पंचायत भानपुरी जिला–राजनांदगांव में स्ट्री लाईट लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों के पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
2. शहरी आवासहीनों को 2 कमरों के मकान के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
3. ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार के घर एवं बाड़ी हेतु भूमि का उल्लेख नहीं है।
4. होम स्टेड अधिनियम के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
5. यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का उल्लेख नहीं है।
6. धान का 2 साल का बकाया बोनस का उल्लेख नहीं है ।
7. घर–घर रोजगार, हर–घर रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है।
8. केन्द्र द्वारा वर्ष 2019–20, 2020–21 में बढ़ाए गए धान के एम एस पी का लाभ प्रदेश के किसानों को देने का उल्लेख नहीं है ।
9. राष्ट्रीयकृत व नीति बैंकों से ऋण लिए किसानों का 3 साल की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
10. दीर्घकालीन मध्यमकालीन किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिलने का उल्लेख नहीं है।
12. बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
13. मठपुरैना रायपुर में 900 बिस्तर अस्पताल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख नहीं है।
15. जामवंत योजना का उल्लेख नहीं है।
16. अवैध वन कटाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।
17. जंगली जीवों के अवैध शिकार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
18. राजधानी रायपुर के विकास के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
19. कुपोषण से बच्चों की मौत रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
20. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
21. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
22. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तिकर पूर्णतः समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

23. महिलाओं के सुरक्षा हेतु रात में तिरंगा ऑटो चलाने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रू. मासिक वेतन का उल्लेख नहीं है।
25. सभी ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय स्थापना का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश सभी जिला में कन्या महाविद्यालय स्थापना हेतु निर्णय का कोई उल्लेख नहीं है।
27. डी.एम.एफ. की राशि के बंदरबाट/भ्रष्टाचार को रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
28. तेंदुपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों को दर्जा दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
29. 'जवाहर सेतु' योजना का उल्लेख नहीं है।
30. 4 शहरों में लोककला सांस्कृतिक मंच निर्माण का उल्लेख नहीं है।
31. लम्बित अनुकम्पा नियुक्तियों का निराकरण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
32. विद्यामितान का नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
33. सभी शासकीय स्कूल में खेल शिक्षक नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
34. नगरीय निकायों में शामिल गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देने का उल्लेख नहीं है।
35. छ.ग. में विधान परिषद गठन का उल्लेख नहीं है।
36. राजस्व न्यायालयों की जवाबदेही तय करने का उल्लेख नहीं है।
37. नगर सैनिकों की वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश को कर्ज से उबारने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
39. बेमौसम बारिश–ओलावृष्टि से बर्बाद किसानों की फसलों का मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
40. वायु प्रदूषण रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
41. जल प्रदूषण रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
42. फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर शासकीय नौकरी कर रहे लोगों के ऊपर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
43. नई राजधानी के आन्दोलनरत् किसानों के मांगों को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
44. स्मार्ट सिटी प्रा. लिमिटेड रायपुर के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
45. अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
46. सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त करने का उल्लेख नहीं है।
47. गांजा माफियों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
48. शराब माफियों को रोकने का उल्लेख नहीं है।

49. भू–माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।

50. कोल माफिया को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

51. रेत माफिया रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

52. स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम खुलने के कारण हिन्दी माध्यम के स्कूल नियमित चले इसकी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।

53. सूपेबेड़ा के किडनी के मरीजों के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

54. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पौष्टिक आहार योजना की शुरूवात करने का उल्लेख नहीं है।

55. सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है।

56. पांचवीं अनुसूची एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

57. सभी आंगनबाड़ी भवन में शौचालय की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

58. बच्चों में एनीमिया कम करने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

59. सभी गांवों में महिला सामुदायिक भवन का उल्लेख नहीं है।

60. महिलाओं के लिए हर जिले में महिला छात्रावास का उल्लेख नहीं है।

61. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान का उल्लेख नहीं है।

62. देश के महानगरों में यूथ हॉस्टल के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

63. रोजगार आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।

64. 10 लाख बेरोजगार युवकों को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

65. भू–जल स्तर बढ़ाने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

66. जल उपभोक्ता संघों का चुनाव नहीं, अधिकार नहीं का उल्लेख नहीं है।

67. किसान औद्योगिक निगम के गठन का उल्लेख नहीं है।

68. जैविक खेती को बढ़ावा देने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

69. सभी ब्लॉक में 100 एकड़ बंजर भूमि की उद्यानिकी के लिए कोई का उल्लेख नहीं है।

70. सभी जिले में चिलिंग प्लॉट व चिलिंग वाहन के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

71. मंडी शुल्क की समाप्ति का उल्लेख नहीं है।

72. सिंचाई हेतु कृषि पम्पों के लिए विद्युत कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।

73. किसान पेंशन का उल्लेख नहीं है।

74. आउटसोंर्सिग की समाप्ति के आदेश का उल्लेख नहीं है।

75. कॉलेज व स्कूली छात्र–छात्राओं के मुफ्त सार्वजनिक सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।
76. चिटफंड कम्पनी के निवेशकों को पैसे की वापसी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
77. कृषि–शिक्षा सभी स्कूलों में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।
78. प्रदेश में स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने का उल्लेख नहीं है।
79. शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत सम्पत्तिकर के आदेश का उल्लेख नहीं है।
80. कचरा मुक्त शहर का उल्लेख नहीं है।
81. घर पहुंच सरकारी सेवा का उल्लेख नहीं है।
82. इंटरजनरेशन इक्विटी नीति का उल्लेख नहीं है।
83. गजराज का उल्लेख नहीं है।
84. लोकपाल गठन उल्लेख नहीं है।
85. नक्सल समस्या के निराकरण के लिए कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
86. पत्रकार सुरक्षा कानून का उल्लेख नहीं है।
87. सिंचित क्षेत्रों की रकम को दोगुना करने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
88. अमूल मॉडल में दुग्ध सहकारी समिति गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
89. 200 फूड पार्क की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
90. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों को नियमित क्रमोन्नति के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
91. चार स्तरीय वेतनमान के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
92. अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए रिक्त पदों पर नियमितीकरण के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
93. सर्व वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के आयु के नागरिकों को 1000 रू. प्रतिमाह पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।
94. स्व. सहायता समूहों की पूर्ण कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
95. शराबबंदी की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।
96. विधवा पेंशन प्रतिमाह 1000 रू. देने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
97. वृद्धा पेंशन योजना अर्न्तगत 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रू. प्रतिमाह देने का उल्लेख नहीं है।
98. प्रदेश में व्यापंक भ्रष्टाचार को रोकने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
99. महिला अपराधों के रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. नगर सैनिकों के बकाया एरीयर्स का भुगतान का उल्लेख नहीं है ।
2. महिला नगर सैनिकों को मातृत्व अवकाश में वृद्धि का उल्लेख नहीं है ।
3. राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. नगर सैनिकों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. विधानसभा मुंगेली में नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
7. जरहागांव को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।
8. अटल नगर रायपुर में उच्च गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में अवैध गांजा बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।
10. शहरी क्षेत्रों के विकास की नई योजना का उल्लेख नहीं है।
11. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के विरूद्ध घटित यौन अपराधों को रोकने का उल्लेख नहीं है।
12. गिरौधपुरी धाम के विकास हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
13. सरकारी जमीनों के अवैध कब्जा से मुक्त कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. भूमाफियाओं को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. असमय वर्षा से खराब हुई फसल के मुआवजा का उल्लेख नहीं है ।
16. रेत माफियाओं को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. मानव तस्करी रोकने हेतु कड़े प्रतिबंधों को लागू करने का उल्लेख नहीं है।
18. मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से नवीन पुल–पुलिया के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
19. पेसा कानून के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
20. जामवंत योजना का उल्लेख नहीं है।
21. गजराज योजना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
22. युवा कल्याण हेतु कोई विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
23. रोजगार आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
24. आंगनबाड़ी कार्यकताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर आधा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

27. पेट्रोल पर लगाये गये गये वैट टैक्स को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में हो रही चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

30. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति का चार स्तरीय वेतनमान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

31. कुपोषण से बच्चों की हो रही मौत को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. नवीन सामुदायिक/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

34. दिव्यांग महिलाओं को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

35. निजी विश्वविद्यालय को वर्ष 2022–23 में दिये जाने वाले तदर्थ अनुदान का उल्लेख नहीं है।

36. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गो के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का उल्लेख नहीं है।

37. शासकीय सेवकों के रिक्त पदों को भरे जाने का उल्लेख नहीं है।

38. आंगनबाड़ी कार्यकताओं के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

39. पुलिस कल्याण हेतु योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

40. धान के 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान का उल्लेख नहीं है।

41. किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफी का उल्लेख नहीं है।

42. करोना महामारी में जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ती मंहगाई रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

43. ग्रामीण क्षेत्रों कृषि भूमि का बाजार मूल्य चार गुना मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

44. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्र के समान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

45. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरूद्ध अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

46. शिक्षकों के पदों को भरकर छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अनुपात का कम किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश के समस्त विकासखंडों में आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

48. मुंगेली जिला के बोडला को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।

49. धान की कीमत रूपये 2500/– एक मुस्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

50. बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

51. मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाने का उल्लेख नहीं है।

52. 100 प्रतिशत पंप कनेक्शन प्रदन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

53. योग एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापना का उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास का उल्लेख नहीं है।

55. मोबाईल पशु चिकित्सा प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

56. गरीब परिवारों को 4 गैस सिलेंडर मुफ्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

57. कोयाला माफियाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।

58. वायु प्रदूषण रोकने का उल्लेख नहीं है।

59. नगरीय निकायों में शामिल किए गये नवीन ग्रामों के विकास का उल्लेख नहीं है।

60. पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने का उल्लेख नहीं है।

61. खुडिया बांध के पानी को पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल हेतु मुंगेली नगर को प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।

62. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

63. मुंगेली जिला में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश में नक्सली उन्मूलन हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

66. वृक्षों के अवैध कटाई को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ सरकारी उद्यानिकी योजना का संचालन का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अधिक जनसंख्या वाले शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. मांझी मुखिया एवं चालक भत्ता को बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. शहरी क्षेत्रों में नगर निगम व नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले उद्योगों से संपत्ति कर हटाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. गांव के तालाब में ट्यूबवेल लगाने व गांव की निस्तारी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
6. जवाहर सेतु योजना के तहत गांवों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
7. उद्यानिकी एवं वानिकी नीति लागू करने के संबंध में कुछ भी कोई उल्लेख नहीं है।
8. मंडी में शीत भंडार गृह हर ब्लॉक में (कोल्ड) स्टोरेज बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
9. कृषि उपज मंडी शुल्क कम करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. 15 प्रतिशत से कम सिंचाई वाले ब्लॉकों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक बोरवेल निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. कामधेनु सुरक्षा हेतु लावारिस मवेशियों के सुरक्षा व संवर्धन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
12. फूड पार्क स्थापित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
13. राज्य के पत्रकारों, वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
14. भूमि–अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन कराने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
15. स्काईवॉक निर्माण के संबंध में कुछ भी नहीं है।
16. पर्यटन स्थलों के अधोसंरचना विकास व बढ़ावा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में नक्सल समस्याओं के पूर्ण निदान करने व विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रू. दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. प्रदेश में जल संसाधन नीति लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. विधवा पेंशन 1000 देने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश 60 वर्ष से अधिक नागरिकों को 1000 प्रतिमाह देने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार के तहत होम स्टेड अधिनियम लाने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. शिक्षा का अधिकार अब तक लागू नहीं है, उसे लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थकेयर की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के दौरान पंजीयन व सॉफ्टवेयर समस्या के निदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. किसानों की राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के किसानों का वनटाईम सेटलमेंट अंतर्गत डिफाल्टर किसानों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में सरकारी समितियों की हालात गंभीर है, जिसके संवर्धन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में हो रहे शिशु मृत्यु व लिंग परीक्षण के रोकथाम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

30. प्रदेश में हो रहे मानव–हाथी द्वंद के रोकथाम करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश में हो रहे महिला तस्करी, दुष्कर्म जैसी घटनाओं के रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

32. किसानों को खरीफ वर्ष 2019–20 के चौथा किश्त अब तक प्रदाय नहीं हुआ है, उसे देने का उल्लेख नहीं है।

33. युवा कल्याण हेतु कोई भी विरोध योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

34. नशामुक्ति अभियान अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

35. कोविड के प्रभाव से शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु उपरांत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

36. कोविड काल में सेवारत रहे कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश के शहरों को कचरा मुक्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

39. किसानों की फसल प्राकृतिक कारणों से हुये क्षति का निरीक्षण नहीं हुआ है, उसका निरीक्षण कराने का उल्लेख नहीं है!

40. प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि नहीं मिलने की वजह से किसान वंचित हैं।

41. प्रदेश व्यापम, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था से परीक्षा में लगी रोक व देरी के निराकरण का उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश में कुपोषण व एनीमिया के बढ़ते दर को रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

43. स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुना या समय पर प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहे क्राईम (अपराध) को रोकने हेतु कोई भी कड़ी योजना बनाने का उल्लेख नहीं है।

45. सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कर्मियों को 3 वर्षों तक प्राथमिक चिकित्सा तथा आपातकाल सेवा का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

46. राज्य में संचालित नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी अंतर्गत उसके संवर्धन के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है।

47. राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे निरंतर कर्ज के कारण मंहगाई व राजकोषीय कर्ज ब्याज भुगतान के में कमी का कोई उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में धान के विक्रय व चांवल के विक्रय से हुये राजस्व क्षति की रोकथाम के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व प्रोत्साहन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में खोले गये नवीन मेडिकल कॉलेजों को MCI से मान्यता प्रदाय कराने का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार व शासकीय चिकित्सकों की कमी की पूर्ति करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

52. सिंचित क्षेत्रों को दो गुना करने के संबंध में कोई भी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश में हो रहे भूमि पर अवैध कब्जा के रोकथाम हेतु कोई भी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश में किसानों को यूरिया खाद जैसी समस्याओं के निदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में हो रही वनों की कटाई के रोकथाम के लिये कोई भी योजना का उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश के स्कूलों का उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

57. वृद्धा पेंशन योजना में पेंशन की वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

58. किसानों को 100 प्रतिशत पंप कनेक्शन प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

59. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है।

60. 2500 रूपये एकमुश्त धान की राशि प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

61. किसानों को दो वर्ष के बोनस प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

62. राज्य में घर पहुंच शासकीय सेवा का उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश में कोविड प्रभावित प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अतिरिक्त उम्र सीमा प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश के गन्ना किसानों की भुगतान व कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

65. महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफी व सशक्तिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

66. बिजली बिल हॉक का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।

68. प्रदेश में फूड पार्क के निर्माण व अधोसंरचना विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

69. प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

70. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नियमितिकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

71. पुलिस कर्मचारियों की मांगों के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता व नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

73. प्रदेश में औद्योगिकीकरण के अधोसंरचना विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

74. वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 के रोकथाम बचाव एवं ओमिक्रॉन लैब निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

75. प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्रहण के संबंध में समर्थन मूल्य व प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

76. शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने को कोई उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में किसानों को दो वर्ष का बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
3. जिला–मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश के जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना है। उनके नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के पुलिसकर्मियों व होमगार्ड को वेतन व भत्तों में वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. जिला–मुख्यालय जांजगीर नगर व चांपा नगर के मध्य हसदो नदी 'पर नये पुल का निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. जिला–जांजगीर–चांपा के विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ में आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जिला–जांजगीर–चांपा के मड़वा पॉवर प्लाण्ट के कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. जिला–जांजगीर–चांपा में नई सड़कों का निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में अधूरे बने प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने हेतु राशि देने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में बंद पड़ी तीर्थ यात्रा योजना को पुनः प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने व पूर्ण शराब बंदी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. कुपोषण से बच्चों की मौत को रोकने हेतु सशक्त कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
16. शहरी आवासहीन परिवारों को 02 कमरों के मकान उपलब्ध करने का उल्लेख नहीं है।
17. नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्तिकर आधा (50 प्रतिशत) किये जाने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करने का कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के समस्त महिला–स्व. सहायता समूहों को कर्ज माफी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

21. प्रत्येक जनपद एवं जिला–पंचायत को खेल विकास कोष आंबटित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने किसी भी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

24. एक मुश्त 2500 रू. प्रति क्विंटल में धान की खरीदी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस का भुगतान किश्तों में किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के किसानों का संपूर्ण बिजली देयक राशि माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. पेसा कानून लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. प्रत्येक सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

31. समस्त लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का तत्काल निराकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रू. मासिक वेतनमान दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

33. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पौष्टिक आहार योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

34. राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने व अनुदान राशि देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

35. संपत्तिकर को ग्रामीण चेक में पूर्णतः समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

36. प्रदेश में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए अभियान शुरू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. गांव के तालाबों के पास ट्यूबवेल स्थापित करने व तालाबों में आधुनिक स्नान घाटों का निर्माण जिसमें महिलाओं के लिए अलग घाट की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम प्रारंभ करने व बाह्य रोगियों को दवाई व जांच को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

39. प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार को घर व बाड़ी हेतु भूमि प्रदाय का कोई उल्लेख नहीं है।

40. विद्यामितान जो छ.ग. के नागरिक है उनके नियमितीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश के विद्युत उपभोक्तओं को बिजली बिल आधा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन कन्या पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाखों लोगों का पक्का मकान लंबित है।
2. प्रदेश में अपहरण और बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
3. सभी छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त सायकल प्रदान नहीं किया जा रहा है।
4. घोषणा–पत्र में 1 लाख शासकीय पदों को भरने की बात कही गयी थी, परंतु 40,000 पदों हेतु भर्ती पूर्ण नहीं किया गया है।
5. तीन वर्षों में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना था, परंतु शासन इस पर उदासीन है।
6. वैज्ञानिक आयोग की स्थापना जैसा घोषणा–पत्र में कहा गया था, नहीं किया गया है।
7. जंगलों को वाईल्ड लाईफ कॉरिडोर से जोड़ने हेतु प्रयास नहीं किया जा रहा है।
8. पत्रकारों, वकीलों, और डॉक्टरों के संरक्षण के लिये विशेष कानून नहीं बनाया गया है।
9. नक्सल समस्या के निवारण के लिये सरकार गंभीर नहीं है।
10. प्रत्येक पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिये एक करोड़ रू. की राशि नहीं दी गयी है।
11. प्रत्येक जिले में दुग्ध समिति की स्थापना नहीं की गयी है।
12. घोषणा–पत्र के अनुसार किसानों की फसलों को पशुओं से होने वाले नुकसान से बचा नहीं पा रही है सरकार।
13. प्रदेश में घोषणा–पत्र अनुसार 200 फूड पार्क की स्थापना नहीं की गयी है।
14. शासकीय कर्मचारियों के लिये क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतन मान लागू नहीं किया गया है।
15. प्रत्येक थाने में एक महिला सेल का गठन किया जाना था जो नहीं किया गया है।
16. भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधी में पट्टा प्रदान नहीं किया गया है।
17. आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का निर्माण की योजना नहीं है।
18. गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये उच्चतम श्रेणी के चिकित्सक नियुक्त करने का उल्लेख नहीं हैं।
19. प्रत्येक परिवार को (APL & BPL) 1 रू. की दर से चांवल नहीं प्रदान किया गया है।

20. घर–घर रोजगार, हर–घर रोजगार तथा 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया गया है।
21. किसानों के दो वर्ष के धान के बकाया बोनस का भुगतान नहीं किया गया। न ही दीर्घकालीन कृषि ऋण की माफी हुई है।
22. सभी का बिजली बिल हाफ नहीं किया गया है।
23. सरकार ने मंडी टैक्स व किसान कल्याण टैक्स के नाम पर राशि बढ़ाई है। इसका नुकसान राज्य के व्यापारी और किसानों दोनों को हो रहा है।
24. गोठान निर्माण के नाम पर अपव्यय हुआ है। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है।
25. सरकार में 3 वर्ष के अंदर लगभग 52 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। उक्त कर्ज की 90 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय में खर्च हुई है।
26. प्रदेश सरकार का पूंजीगत व्यय कम हुआ तथा राजस्व व्यय बढ़ा है।
27. राज्य अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है।
28. पूरा प्रदेश नशे के गिरफ्त में है।
29. ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।
30. 3 नवीन मिलें बनाने की 15 अगस्त 2022 को घोषणा की गयी, परंतु मिलें अब तक अस्तित्व में नहीं आयी हैं।
31. स्व–सहायता महिला समूहों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
32. राज्य में बेरोजगारी की समस्या का निवारण नहीं कर पायी सरकार है।
33. प्रदेश में लोकपाल अधिनियम लागू करने का उल्लेख नहीं है।
34. बलौदाबाजार से भाटापारा को पृथक जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।
35. भाटापारा शाखा नहर के पूरे लाईनींग कार्य हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
36. गजराज योजना तथा जामवंत योजना के बारे में उल्लेख नहीं है।
37. जनपदों में पंचायतों को पर्याप्त कार्य नहीं दिया जा रहा है।
38. राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने कोई योजना नहीं है।
39. प्रधानमंत्री आवास बनाने हेतु सरकार असफल है।
40. गरीबी उन्मूलन हेतु शासन गंभीर नहीं है।
41. छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का गठन का बात नहीं है।
42. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर प्रदान नहीं किया जा रहा है।

43. पशुधन संरक्षण की ओर शासन का ध्यान नहीं हैं।
44. गोठानों की दशा सुधारने कोई बात नहीं कही गयी है।
45. अपराधों के नियंत्रण में सरकार असफल है।
46. रेत उत्खनन पर लगाम लगाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
47. फसल बीमा की राशि किसानों को देने के संबंध में अव्यवस्था है।
48. वर्ष 2022–23 में कितने शहर कचरा मुक्त रहेंगे लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया है।
49. राज्य में बाघों के संरक्षण हेतु सरकार गंभीर नहीं है।
50. खिलाड़ियों को 2 गुनी छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।
51. बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ नहीं किया गया है।
52. विद्यामितानों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
53. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने कोई योजना नहीं है।
54. प्रत्येक शासकीय स्कूलों में योग शिक्षक (रेगुलर) नियुक्ति नहीं है।
55. हजारों रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास नहीं है।
56. पुलिस आरक्षकों को 2800/– ग्रेड पे वेतन करने का उल्लेख नहीं है।
57. लंबित अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सरकार गंभीर नहीं है।
58. उच्च चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है।
59. प्रदेश में बढ़ते सीमेंट की दरों में वृद्धि के रोकथाम हेतु उल्लेख नहीं है।
60. शासकीय विभागों में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
61. प्रत्येक भूमिहीन कृषकों को खेती हेतु जमीन प्रदाय नहीं किया गया है।
62. प्रदेश के लंबित किसानों के पंप कनेक्शन को लगाने हेतु उल्लेख नहीं है।
63. 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 1500 रू. पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
64. नगरीय निकायों के अंतर्गत संपत्ति कर को आधा किये जाने का उल्लेख नहीं है।
65. आउटसोर्सिंग बंद करने में सरकार असफल है।
66. तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
67. आवासहीन परिवारों को 02 कमरों का मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
68. प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाये वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
69. महिलाओं के सुरक्षा में प्रदेश सरकार असफल रही है।

70. पुलिस परिवार की मांगों पर सरकार का ध्यान नहीं है।
71. यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम का कियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है।
72. प्रदेश में 6000 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों (भवन) का निर्माण नहीं किया गया है।
73. योग एवं शारीरिक शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
74. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय नहीं किये गये है।
75. प्रदेश के माफिया राज को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
76. सभी शासकीय सेवा को ऑनलाईन नहीं किया गया है।
77. मध्यप्रदेश और अन्य बाहर के राज्यों से शराब की तस्करी रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
78. राशन कार्डों/चावल की धांधली रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
79. अवैध शराब विक्रय और मादक पदार्थों के विक्रय के रोकथाम हेतु उल्लेख नहीं है।
80. मोबाइल पशु चिकित्सा युनिट चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
81. गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त देने का उल्लेख नहीं है।
82. बेरोजगारों के रोजगार के लिये सरकार गंभीर नहीं है।
83. 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को 2500/– बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
84. शासकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव है।
85. कोरोना महामारी में सेवा देने वाले हेल्थ वर्करों को बेरोजगार कर दिया गया रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी है।
86. प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये समाधान कारक हल का उल्लेख नहीं है।
87. प्रदेश के सभी जिलों में आत्मानंद स्कूलों के भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
88. घोषणा–पत्र के अनुरूप 50 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण नहीं कर पायी सरकार।
89. प्रदेश में वन संरक्षण योजनाओं में पर्याप्त देखरेख का अभाव है।
90. वाहनों की दुर्घटनाओं को कम करने हेतु शासन गंभीर नहीं है।
91. श्रमिकों के पंजीयन तथा अनुदान देने में राज्य की सरकार असफल रही है।
92. वृद्धा पेंशन बढ़ाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
93. शासकीय भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण में राज्य सरकार फेल है।
94. उद्योगों के बढ़ावा देने हेतु छूट रियायत देने का उल्लेख नहीं है।
95. नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

96. एक मुश्त 2500 रू. प्रति क्विंटल धान की खरीदी और भुगतान का उल्लेख नहीं है।
97. किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
98. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।
99. प्रदेश के स्कूली छात्राओं को निःशुल्क परिवहन की सुविधा का उल्लेख नही हैं।
100. जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का अभाव है।
101. अवैध कब्जाधरी लोगों से अतिक्रमण हटा पाने में सरकार सक्षम नहीं है।
102. प्रदेश में अवैध शराब के विक्रय को रोकने का उल्लेख नहीं है।
103. योग शिक्षकों के नियुक्ति हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
104. प्रत्येक विकासखंडों में फूड पार्क की स्थापना नहीं की गयी है।
105. प्राईवेट स्कूलों द्वारा मनमानी शुल्क वसूली को रोकने हेतु प्रयास नहीं किया है।
106. अधिवक्ता कल्याण की व्यवस्था नहीं है।
107. पुलिस कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
108. नगर सैनिकों की वेतन वृद्धि का प्रावधान नहीं है।
109. कोरोना महामारी से निपटने के लिये पर्याप्त बजट नहीं है।
110. खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात नहीं है।
111. उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।
112. सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को जमीन देने की बात नहीं है।
113. बुनकरों के विकास हेतु बात नहीं कही गयी है।
114. प्रदेश के दीर्घकालीन कृषि ऋणी किसानों का ऋण माफ नहीं किया है।
115. फर्जी प्रमाण–पत्र से नौकरी पाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने में सरकार असफल है।
116. प्रदेश की सिंचाई का रकबा दुगना नहीं हो पाया है।
117. कुपोषण में कमी लाने में शासन असफल रही है।
118. पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जा रही है।
119. पुलिस परिवारों के लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं है।
120. सरकार कर्ज लेकर बोझ बढ़ाने जा रही है। कम करने का उपाय नहीं है।
121. प्रदेश में रायल्टी चोरी नहीं रोका गया है।
122. नियमित शासकीय भर्ती कराने में असफल है।
123. धान खरीदी हेतु खरीदे गये बोरे की राशि के पूर्ण भुगतान का उल्लेख नहीं है।
124. नक्सली हिंसा में मरने वाले नागरिकों को देने वाली मुआवजा का उल्लेख नहीं है।

125. गोधन न्याय योजना अंतर्गत पूरे प्रदेश में नियमित गोबर खरीदी नहीं हो पा रही है।

126. सरगुजा संभाग में वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. महाविद्यालयों में विषयों से संबंधित शिक्षकों की कमी को दूर करने विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों का निपटारा करने हेतु समुचित व्यवस्था होने का उल्लेख नहीं है।
3. न्यायिक व्यवस्था हेतु दूरगामी सोच का उल्लेख नहीं है।
4. स्वास्थ्य योजनाओं का पूर्णतः पालन करवाने की ओर मॉनिटरिंग की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
5. कुपोषण की समस्या के निराकरण हेतु विशेष प्रयास का उल्लेख नहीं है।
6. पोषण सुरक्षा में मध्यमवर्गीय परिवारों हेतु विशेष ध्यान देने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. ग्रामोद्योग को विस्तृत करने की ओर दूरगामी सोच का कोई उल्लेख नहीं है।
8. संस्कृति एवं पर्यटन के संरक्षण हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की ओर विशेष कार्य न होने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. वृक्षारोपण, वन विकास, वन्य प्राणी सुरक्षा, वन सुरक्षा, भू–जल संरक्षण हेतु अपनाई नीति पर पूर्णतः अमल होने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. वन उत्पादों के खरीदी एवं संरक्षण हेतु नीति का अभाव व आदिवासियों के अधिकारों का हनन का कोई उल्लेख नहीं है।
11. आदिवासी अंचलों में पोषक उत्पादों (जैसे– चाय, कॉफी, काजू, तीखूर, चांवल,फल इत्यादि) के उत्पादन हेतु शासन की नीतियों में दूरदृष्टि के अभाव का कोई उल्लेख नहीं है।
12. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में नियमों की स्पष्टता नहीं होने से वंचित लोगों की संख्या ज्यादा होने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. जैविक खाद की अनुपलब्धता से आमजन को कोई फायदा होने का उल्लेख नहीं है।
14. सुराजी गांव योजना से आमजन को विशेष फायदा का उल्लेख नहीं है।
15. विशेष परियोजना पूर्णतः सफल होने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. समर्थन मूल्य में धान खरीदी में किसानों के साथ बिना भेदभाव के किये जाने का उल्लेख नहीं है।
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समग्र विकास का उल्लेख नहीं है।

18. बेरोजगारी की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।
19. जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में ओलावृष्टि से उत्पन्न समस्या का समाधान कारक हल खोजने का उल्लेख नहीं है।
21. उद्योगों में लगे मजदूरों के हित संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।
22. वनों की अवैध कटाई का उल्लेख नहीं है।
23. खाद्य नीति में सफल होने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. विद्युत अधोसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित होने का उल्लेख नहीं है।
25. सड़क अधोसंरचना हेतु गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित होने का उल्लेख नहीं है।
26. शहरी क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत कटौती होने का उल्लेख नहीं है।
27. सौर ऊर्जा के विस्तार करने हेतु दूरवर्ती सोच का उल्लेख नहीं है।
28. महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार की कमी से ग्रामीण अंचलों के विकास का उल्लेख नहीं है।
29. कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन नीति की पारदर्शिता लागू करने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में योग्य लाभार्थियों का चयन होने तथा अपने लोगो के उपकृत करने का उल्लेख नहीं है।
31. क्षतिग्रस्त नहरों का पुनर्निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने का उल्लेख नहीं है।
32. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरगामी सोच का उल्लेख नहीं है।
33. वन अधिकार पत्र योग्य लोगों को प्राप्त होने का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु असमानता को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जिला कबीरधाम के तहसील के ग्राम कुण्डा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है ।
2. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम खुड़िया के जर्जर स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है ।
3. जिला मुंगेली के लोरमी वन परिक्षेत्र, खुड़िया वन परिक्षेत्र, अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन भूमि का अधिकार पत्र/पट्टा अनेकों को नहीं मिला है उन्हें शीघ्र प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. जिला मुंगेली के लोरमी में 100 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. जिला मुंगेली के नगर पंचायत लोरमी में पेयजल योजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. जिला मुंगेली के तहसील लोरमी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
7. जिला मुंगेली के तहसील मुंगेली में संचालित व्यवहार न्यायालय हेतु भवन स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के शिक्षित बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में पिछले 1 वर्ष से लगातार वन्यप्राणियों के शिकार एवं बीमारी से होने वाले मौतों की रोकथाम हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. जिला मुंगेली के तहसील लोरमी के ग्राम कोरवा महंत में नवीन हाईस्कूल प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
11. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम सरिसताल में नया पूर्व माध्यमिक शाला प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
12. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम रबेली में पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
13. जिला मुंगेली, के तहसील लोरमी के ग्राम हरदीबांध एवं ग्राम उरईकछार में नवीन पक्का मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम लाखासार एवं ग्राम डोंगरिया तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।

15. जिला मुंगेली के तहसील लोरमी के ग्राम बंधवा एवं ग्राम गोंडखारही में सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

16. जिला मुंगेली एवं जिला बिलासपुर में वनों की अवैध कटाई की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

17. जिला मुंगेली तहसील लोरमी के ग्राम रबेली स्थित गनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

18. जिला कबीरधाम के तहसील पंडरिया के ग्राम सोमनापुर (पुराना) जयस्तंभ से ग्राम मोतेसरा में मुरित बाबा मंदिर तक नयी पक्की सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

19. जिला मुंगेली तहसील लोरमी के परसवादा से ग्राम गुनापुर से ग्राम लपटी तक नवीन पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

20. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम डिडौला से ग्राम महरपुर के मध्य मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

21. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम रेंहुटा एवं पुटुपारा के ग्राम लपटी के मार्ग में मनियारी नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति कोई उल्लेख नहीं है।

22. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम घानाघाट एवं ग्राम बघर्रा के मध्य मनियारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

23. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम गुनापुर में वर्षो से कार्यरत कृषि सहकारी समितियों की कृषि भूमि के ऊपर काबिज कृषकों को पट्टा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी में मनियारी नदी पर बने एनीकट के कारण श्मशान घाट में हो रही क्षति को रोकने हेतु रिटर्निग वाल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

25. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम तोतियापुरान के आदिवासी मोहल्ले का नाला के कारण हो रहे कटाव को रोकने हेतु रिटर्निग वाल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

26. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम राम्हेपुर (एन) में दुग्ध महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम गोंडकवाम्ही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. जिला कबीरधाम, विकासखंड पंडरिया के ग्राम कुण्डा को तहसील बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. जिला मुंगेली के नगर पंचायत लोरमी को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

30. जिला मुंगेली, विकासखंड लोरमी के थाना तहसील लालपुर के ग्राम लालपुर में नया शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

31. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी में स्थित अचानकमार रिजर्व के कोर जोन के गांवों के उचित व्यवस्थापन का कोई उल्लेख नहीं है।

32. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम कौहाबांधा में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

33. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम घानाघाट में स्थित मनियारी नदी के कटाव के कारण बाढ़ आने जाने से रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

34. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम खुड़िया शासकीय अभिलेख में सिंचाई ग्राम है को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

35. जिला मुंगेली की नगर पंचायत लोरमी में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम एवं इनडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

36. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के ग्राम व वन परिक्षेत्र खुड़िया वन विभाग के द्वारा जंगल सफारी प्रारंभ करने की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश में लोहे की छड़ एंगल आदि के दाम लगातार बढ़ रहे है, उसे रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

38. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के वनग्राम दानोखार के समीप धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

39. जिला मुंगेली के तहसील लोरमी के अंतर्गत स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व के वनग्रामों के वनमार्गो की मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु किसी प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

41. जिला मुंगेली, के विकासखंड लोरमी के नेवराघाट में मनियारी नदी पर एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

42. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के प्राथमिक शाला भवनों में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।

43. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के पर्यटन ग्राम खुड़िया के विकास के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

44. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केन्द्रों में पक्का चबूतरा निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश का उल्लेख नहीं है।

45. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी में प्रवाहित मनियारी नदी, का जल शहर की नालियों के कारण प्रदूषित हो रही है जिसे दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

46. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व का नया प्रवेश द्वार ग्राम खुडिया ग्राम कंचनपुर से प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

47. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के कृषकों को विद्युत आपूर्ति प्रभावी रूप से हो सके इसके लिए अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

50. मुंगेली जिले की तहसील लोरमी में उप कोषालय की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

51. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी में संचालित पं. हरिचरण दुबे कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

52. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के अचानकमार अम्यारण्य के कोर एवं बफर जोन के गांव में जंगली जानवरों द्वारा मवेशियों को मार दिये जाने पर मुआवजा भुगतान का उल्लेख नहीं है।

53. जिला मुंगेली, तहसील लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के कृषकों के फसलों को वन्यप्राणियों के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा भुगतान का उल्लेख नहीं है।

10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के तहत स्कूल को लंबित भुगतान का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में नवीन पशु औशधालयों खोलने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में मोची पेटी वितरण का उल्लेख नहीं है।
4. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लंबित स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के धान खरीदी केन्द्र के आहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की नहरों के मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में कृषकों के बिजली वितरण लाईन के लंबित भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
8. शासकीय कर्मचारियों को समय सीमा में पेंशन भुगतान और कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में तिलहन और दलहन की खेती का रकबा बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. मूल जल संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
11. गैर परंपरागत स्त्रोत से बिजली उत्पादन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के बाहर चूना पत्थर का क्लिंकर बाहर भेजने को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. उद्योगों में हुई मजदूरों कि मौत के बाद उनके परिवारजनों को पुनः नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।
14. लोहा और सीमेंट की मूल्य वृद्धि को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में टाइगर की संख्या वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश की जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में सोना खदान संचालन और चालू करने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में नए शक्कर कारखाने खोलने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में नदी किनारे किसानों को बिजली लाईन विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
21. जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम वहरीया में नवीन महाविद्यालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में हीरा खनन शुरूआत कर चालू करने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में कोयला उत्पादन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश की शालाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के कोटवारों की लंबित नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के युवा बेरोजगारों का भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
28. सकल वित्तीय घाटा कम करने का उल्लेख नहीं है।
29. अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
30. DMT योजना में नियम विरूद्ध खर्च करने का कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में नकली खाद्य बिक्री पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
32. कृषकों के लंबित स्थाई कनेक्शन का कोई उल्लेख नहीं है।
33. जांजगीर–चांपा जिले के मड़वा ताप विद्युत परियोजना द्वारा फैलाये जा रहे प्रदुषण का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में सीमेंट, लोहा और रेत के दामों को कम करने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में नकली कीटनाशक दवाई की बिक्री पर रोक लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।
36. किसानों के पूर्ण कर्जमाफी के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों के कर्ज माफी का कोई उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में अधूरे आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश के किसानों को लंबित भुगतान देने का कोई उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश के अनुदान प्राप्त शिक्षकों के वेतन लंबित भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
43. मनरेगा से WBM सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
44. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम नरीयरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में और जांजगीर के बलौदा में व्यवहार न्यायालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
46. अकलतरा नगर पालिका में गौड़ खनिज राशि प्राप्त न होने का उल्लेख नहीं है।
47. प्लास्टिक के उपयोग को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यस्थ मितानीनों के वेतन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

49. भूमि अधिग्रहण में किसानों को शासकीय मूल्य कम करने से हो रहे नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में भारत माता एक्सप्रेस मार्ग निर्माण के लिए कृषकों के मुआवजा भुगतान का उल्लेख नहीं है।

51. जांजगीर–चांपा जिले में नवीन स्वास्थ्य महाविद्यालय निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश में उद्योगों और खदान संचालकों द्वारा CSR (Corporate Social Responsibility) खर्च करने का उल्लेख नहीं है।

53. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा में 133 के व्ही.ए. सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में गांवों में निर्मित अटल व्यवसायिक परिसरों के नीलामी और संचालन का उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश के उद्योगों से बकाया जल कर की वसूली का कोई उल्लेख नहीं है।

58. प्रदेश के किसानों की समर्थन मूल्य में रबी फसल की खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में नहरों की सफाई का कोई उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश के आहाता विहीन थानों और चौकियों में आहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

61. प्रदेश के आवास मित्रों को पुनः काम देने का कोई उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश के कुम्हारों को चाक मशीन वितरण का कोई उल्लेख नहीं है।

63. प्रदेश में कुम्हारों और मिट्टी से काम करने वालों के लिए जमीन सुरक्षित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश में वृद्धजनों की पेंशन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में लघु सिंचाई योजना के जीर्णोधार का कोई उल्लेख नहीं है।

66. कोल और सोनझरी समाज के लिए जाति प्रमाण–पत्र बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश के गोठानों में गोबर के लंबित भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

11. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. विकासखंड मस्तूरी के विधायक आदर्श ग्राम में लिलागर नदी पर एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
2. मस्तूरी में एस.डी.एम. कार्यालय के बाजू में एक रेस्ट हाउस निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए भूमाफिया पर ठोस नियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश के किसानों को धान का मूल्य 2500/– प्रति क्विंटल एक मुश्त दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खम्हरीया, लोहर्सी एवं जोंधरा में उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटवा एवं भुरकूंडा में संचालित हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
7. एनटीपीसी सीपत में भूअर्जन के बाद रोजगार की समस्या को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. विकासखंड मस्तूरी में जोंधरा, भटचौर, बहतरा, मटिया, सरसेनी, इटव, कोनी, लावर, नवागांव, पोड़ी में जर्जर रोड़ के पूनर्निमाण का उल्लेख नहीं है।
9. पारदर्शी व बिना लेनदेन के तय समय पर राजस्व के प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. जनपद पंचायत खेल विकास कोष हेतु धन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जामंवत योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. गजराज योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के क्राईम जैसे–लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती गांजा तस्करी की रोकथम हेतु कोई भी योजना का उल्लेख नहीं है।
4. कामधेनु सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिला सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में सोलर योजना के तहत नेट बिलिंग योजना को लागू करने का उल्लेख नहीं है।
6. अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
7. किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस का भुगतान किश्तों में किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. वरिष्ठ नागरिकों के लिए पौष्टिक आहार योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ सरकारी भूमि में उद्याानिकी योजना का संचालन का उल्लेख नहीं
10. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहरों में रात में तिरंगाा ऑटो चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करने योग्य बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रू. मासिक वेतनमान दिये जाने व 5000 मितानिनों की नवीन नियुक्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अनवरत रोजगार दिलाये जाने की किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. घर पहुंच सरकारी सेवाएं शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. योग एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
17. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. शिक्षा के अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री.स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक किये जाने और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।.

19. आई.ओ.एफ द्वारा अनुमोदित हर खेल के लिए एस.ए.आई प्रशिक्षक की नियुक्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा प्रदान किये जाने को कोई उल्लेख नहीं है।

21. राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए डीए और टीए बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. जिला पर्यटन कोष स्थापित कर पर्यटन से मिल रही राशि को स्थानीय विकास में लाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेल को राज्य बढ़ावा दिये जाने के संबंध में कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

24. शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं पंचायतों के दायरे में आने वाले उद्योगों से संपत्तिकर दर को घटाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. सरकार आने के पश्चात से प्रदेश में अवैध कटाई व वन क्षेत्र लगातार घटने लगा है इस पर रोक लगाने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में लावारिस घूम रहे मवेशियों के लिये गौ–शालाएं बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को शासकीय नौकरी दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
3. आयुष्मान योजना से प्रदेश के बड़े निजी अस्पतालों की गरीबों का निःशुल्क इलाज कराये जाने का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में हवाई सेवा विस्तार करने की ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 35 किलो चांवल दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
6. प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार दिये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी कर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के समस्त महिला स्व–सहायता समूहों का कर्ज माफी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को 100 रू. तथा 75 वर्ष से अधिक वृद्धों को 1500 रू. पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
10. नगरीय निकाय के अंतर्गत संपत्तिकर आधा किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के किसानों की संपूर्ण बकाया बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क की स्थापना करने की योजना का उल्लेख नहीं है ।
13. प्रदेश में सीमेंट के बढ़ते दामों की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
14. वन्य प्राणियों के अवैध शिकार को रोकने तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण करने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश में पेसा कानून लागू करने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रत्येक भूमिहीन परिवार को घर व बाड़ी हेतु भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
17. उच्च चिकित्सा विशेषज्ञ की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम प्रारंभ करने व बाह्य रोगियों को दवाई व जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के 10 लाखा युवाओं को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
22. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।
23. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
24. राजीव गांधी न्याय योजना में कब–कब भुगतान किया जायेगा इसका उल्लेख नहीं है।
25. शहरी आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
26. वर्ष 2022–23 में कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है इसका उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाये वेट टेक्स को कम करने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के किस–किस विभाग में आउट सोर्सिंग बंद हुई है इसका उल्लेख नहीं है।
29. शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. तृतीय व चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान लागू करने का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
32. कुपोषण से बच्चों की हो रही मौतों को रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
33. पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
34. मोबाईल पशु चिकित्सा यूनिट चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
35. गरीब परिवारों के लिये एक वर्ष में 4 एलपीजी गैस सिलेण्डर मुफ्त प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
36. घर पहुंच सरकारी सेवाएं प्रारंभ कराये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
37. योग व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश को अपराधगढ़ बनने से रोकने व प्रदेश के माफियाराज को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

39. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री को रोकने का उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

41. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

42. वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

43. एकमुश्त 2500 रू. प्रति क्विंटल में धान खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

44. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

45. किसानों को दो वर्ष की धान खरीदी का बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

46. शिक्षा के अधिकार के तहत् सभी को प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी तक निःशुल्क शिक्षा तथा छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

47. मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

48. सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुराने बकाया राशि माफ करने का उल्लेख नहीं है।

49. कालेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुफ्त दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

50. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तिकर को पूर्ण समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

51. किसानों के लिये दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और फसल बीमा के लिये सम्मिलित बीमा पॉलिसी प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

52. सामुदायिक खेती हेतु सरकारी भूमि पर कृषि क्षेत्र स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाने हेतु अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ सरकारी भूमि में उद्यानिकी योजना का संचालन करने का उल्लेख नहीं है।

55. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहरों में रात में तिरंगा ऑटो चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

56. मांझी मुखिया को दिये जाने वाले भत्ते को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

57. दुर्घटना में दिव्यांग हुए लोगों को प्रमाणपत्र तथा सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

58. दिव्यांग महिलाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

59. वरिष्ठ नागरिकों के लिये पौष्टिक आहार योजना का उल्लेख नहीं है।

60. अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

61. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशिलिटी सुविधाएं प्रदान करने योग्य बनाने का उल्लेख नहीं है।

62. नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

63. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त पांच हजार रू. मासिक वेतनमान में नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश में सोलर योजना के तहत् नेट बिलिंग योजना को लागू करने का उल्लेख नहीं है।

65. कामधेनु सुरक्षा के लिये प्रत्येक जिला सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

66. किसानों के मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण को माफ करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

67. जामवंत योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

68. चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस किए जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

69. गजराज योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

70. मानव तस्करी की रोकथाम हेतु ठोस उपायों एवं कड़े प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

71. प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश के शिल्पकारों को अनवरत रोजगार मुहैया कराने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

73. प्रदेश में लोकपाल लागू करने का उल्लेख नहीं है।

74. प्रदेश के वनक्षेत्रों में हो रही अवैध कटाई को रोके जाने का उल्लेख नहीं है।

75. सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को 3 वर्षों तक प्राथमिक तथा आपात चिकित्सा सेवा प्रशिक्षण दिलाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

76. अटलनगर, नवारायपुर में उच्चगुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

77. प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये समाधानकारक हल करने का उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कुपोषण तथा अन्य बीमारियों की नियमित जांच तथा रोकथाम के उपायों एवं मध्यान्ह भोजन नियमित लागू करने का उल्लेख नहीं है।

79. कक्षा 1 से 5 तक विशेष आहार के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा तथा विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

81. सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को आर.एम.एस.ए. के परामर्श के अनुरूप उन्नत कर पूर्णतः सुविधायुक्त बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

82. घोषणापत्र अनुसार रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

83. प्रदेश के सभी जिलों में नवीन कन्या पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

84. कृषि आधारित सभी शिक्षा विद्यालयों में कृषि शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।

85. आदिवासी क्षेत्रों में गौण खनिज के उत्खनन हेतु उस क्षेत्र के अजा., अजजा., अन्य तथा पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवकों की समिति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

86. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज की खरीदी हेतु उस क्षेत्र के अजा., अजजा., अन्य तथा पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवकों की समिति बनाये जाने तथा अनुदान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

87. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

88. प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिये सुरक्षित करने हेतु इंटर जनरेशन इक्विटी के सिद्धांत पर नीति बनाने के लिये वैज्ञानिक आयोग की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

89. प्रदेश के बांधों की संख्या चार करने के अभियान प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

90. जनसंख्या एवं विकास के आधार पर ग्राम पंचायत को औसतन 70 लाख रू. व नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रू. ग्राम विकास निधि से प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

91. जवाहर सेतु योजना के तहत् राज्य के समस्त पहुंच विहीन गांवों को जोड़ने के लिये सभी नदियों एवं नाली निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

92. गांव गंगा योजना तहत् प्रत्येक गांव में पेयजल विस्तार और सिंचाई सेतु स्थापित का उल्लेख नहीं है।

93. गांव के तालाब के पास ट्यूबवेल स्थापित करने एवं तालाबों स्नान घाटों का आधुनिक तकनीक से निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

94. लोककला को बढ़ावा देने सभी जिला मुख्यालयों में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

95. प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा करने का उल्लेख नहीं है।

96. प्रदेश के सभी विभागों में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

97. प्रदेश के विद्यामितानों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

98. प्रत्येक जनपद एवं जिला पंचायत को खेल विकास कोष से राशि आवंटित करने का उल्लेख नहीं है।

99. आई.ओ.एफ. द्वारा अनुमोदित हर खेल के लिये एन.आई.एस. प्रशिक्षक की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

100. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

101. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

102. प्रदेश के खिलाड़ियों को दोगुनी छात्रवृत्ति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

103. राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिये डी.ए. और टी.ए. बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

104. शहरीकरण के कारण नगरीय निकाय क्षेत्र के दायरे में आने वाले उद्योगों से संपत्ति कर की दर कम करने का उल्लेख नहीं है।

105. जिला पर्यटन कोष स्थापित कर पर्यटन से प्राप्त राशि को स्थानीय विकास में लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

106. प्रदेश में विधान परिषद के गठन करने का उल्लेख नहीं है।

107. राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की शीघ्र निपटारे की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

108. नगर सैनिकों की वेतनवृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

109. पुलिस कल्याण की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

110. अधिवक्ता कल्याण की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

111. कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

112. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

113. प्रदेश में सिंचाई रकबा दुगुना करने का उल्लेख नहीं है।

114. प्रदेश में कुंओं का संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।

115. प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति की असमय हो रही मौतों को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

116. प्रदेश मे स्वाईल टू सिकल योजना के अंतर्गत बुनकरों को मुफ्त धागा, मशीन वितरित करने का उल्लेख नहीं है।

117. प्रदेश में सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

118. अशुद्ध पेयजल स्त्रोतों को शुद्ध करके पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

119. प्रदेश में खनिज से प्राप्त रायल्टी की चोरी को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

120. प्रदेश सरकार द्वारा लिये जा रहे भारीभरकम कर्ज से उबरने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

121. प्रदेश में नक्सली समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।

122. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण करने में सरकार विफल रही है।

14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर मानदेय दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. सभी सरकारी स्कूलों में योग शिक्षा शुरू करने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों को तेल, दाल, चीनी दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के महाविद्यालयों एवं स्कूलों में ग्रंथपाल की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के सहकारी समितियों में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बसाहटों का विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में शासकीय अस्पतालों में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के पंचायत सचिवों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के शत् प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्था में भर्ती पर लगी रोक को हटाने का उल्लेख नहीं है।
11. जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
12. नक्सलवाद से मुक्त प्रदेश बनाने हेतु ठोस कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के किसानों का दो वर्ष का बकाया धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. पूरे प्रदेश के स्कूलों व महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का उल्लेख नहीं है।
15. वन क्षेत्रों के अतिक्रमण एवं पेड़ों के अवैध कटाई रोकने संबंधी ठोस कार्य का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के महाविद्यालय एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को आने जाने हेतु निःशुल्क परिवहन का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भूमि देने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के पात्र आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
19. पूरे प्रदेश में सिंचाई सुविधा विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के किसान मित्रों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश के महिला स्व स्हायता समूहों के संपूर्ण कर्जा माफ करने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के शिक्षकों को समयमान वेतन देने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में सिटीस्किन, सोनोग्राफी, डायलिसिस सुविधा शुरू करने का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
25. कोविड महामारी के संभावित चौथी लहर से बचने हेतु कार्यों का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में सीमेंट एवं सरिया के दामों में कमी करने का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार किये जाने का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. जन घोषणा–पत्र में शामिल शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत डेली विजेस, अंशकालीन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के मितानिनों को मानदेय दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में दी जा रही पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश की समस्त विधवा महिलाओं को पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
37. नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर हाफ (आधा) करने का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पामगढ़ विधानसभा के ग्राम–पंचायत तुस्मा में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम–पंचायत मुईगांव में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. पामगढ़ विकासखण्ड में नये उपकोषालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. पामगकढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है ।
5. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोगाकोहरौद में बाईपास सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेती चोरी पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
7. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत रसौटा के हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम–पंचायत कोसा में शुद्ध पेयजल के लिए पाईप लाईन विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम–पंचायत कोसीर में दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
10. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत मुलमुला में उप तहसील खोलने का उल्लेख नहीं है।
11. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–कटौद में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने कोई भी कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के स्कूलों में सफाई कर्मियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. पामगढ़ विधानसभा के नगर पंचायत में नया 30 बिस्तर अस्पताल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

15. प्रदेश में बढ़ रही अपराधी की घटना को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

16. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–जोगीडीपा व मुरली के मध्य उच्चस्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

17. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जर्जर व भवन विहीन में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का कोई उल्लेख नहीं है।

18. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–गोधना से कासा पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्थायी रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में कब तक शराब बंदी होगी, का कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

22. पामगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में नशे की रोकथाम किये जाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

26. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने के लिए कोई कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

27. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

28. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के के ग्राम–पंचायत ससहा में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–मुड़पाल (शि.) के कंजी नाला एनीकट पर पुल निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–तुस्मा में नये धान खरीदी केन्द्र खोलने को काई उल्लेख नहीं है।

31. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत कोसा के डोगाघाट में उच्चस्तरीय पुल निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. ग्राम–पंचायत पामगढ़ को नगर पंचायत बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन देने को कोई उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

35. प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

36. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत डुडगा के एनीकट निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–डोगांकोहरौद में प्रस्तावित फूडपार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

38. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत भिलौनी के अधूरे हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन अधूरे निर्माण को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

39. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–डोगांकोहरौद एवं ससहा की अधूरी सड़क निर्माण को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश की स्कूलों में ग्रंथपाल के रिक्त पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

41. पामगढ़ आई.टी.आई. तक पहुंच मार्ग निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

42. डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय के लिए पहुंच मार्ग निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

43. पामगढ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम–पंचायत ससहा,सलखन, मुलमुला में नया महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

44. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–महका में उचित मूल्य गोदाम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नया आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

46. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत चण्डीपारा के आश्रित ग्राम–उरैहा के प्राथमिक शाला भवन निर्माण बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. पमगढ़ विधानसभा के ग्राम–चण्डीपारा के पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

48. पामगढ़ विकासखण्ड के ग्राम–पंचायत भिलौनी में नया महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

49. पामगढ़ विकासखण्ड के ग्राम–पंचायत भिलौनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

50. पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम–पंचायत में मेऊ की हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने को कोई उल्लेख नहीं है।

51. पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम–पंचायत खपरडीह में हाईस्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. समस्त लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रूपये मासिक वेतनमान दिये जाने व 5000 मितानिनों की नवीन नियुक्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के राजस्व कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने का कोई उललेख नहीं है।
5. शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. इस वर्ष राजीव गांधी न्याय योजना में भुगतान कब किया जावेगा, का उल्लेख नहीं है।
7. किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस का भुगतान किश्तों में किये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध कटाई व वन क्षेत्र लगातार घटने लगा है, इस पर सर्वे लगाने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
9. पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अनवरत रोजगार दिलाये जाने की किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में शराब की बिक्री में पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में सर्व वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1500 रूपये पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
13. नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
14. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करने योग्य बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

15. कुपोषण से बच्चों की मौत को रोकने हेतु सशक्त कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
16. शहरी आवासहीन परिवारों को 02 कमरों का मकान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाये गए अधिकतम वेट टैक्स को कम कर मंहगाई कम करने संबंधी उल्लेख नहीं है।
18. 10 लाख युवाओं को 2500 रूपये प्रतिमाह प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
19. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. उच्च चिकित्सा विशेषज्ञ की भर्ती किये जाने का उललेख नहीं है। प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार को घर व बाड़ी हेतु भूमि प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
21. नगरीय निकाय के अंतर्गत सम्पत्ति कर आधा (50 प्रतिशत) किये जाने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के समस्त महिला स्व. सहायता समूहों का कर्ज माफी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के किसानों का सम्पूर्ण बिजली देयक की राशि माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में सीमेंट के दामों में अत्याधिक वृद्धि की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
26. संपत्ति कर को ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्णतः समाप्त किये जाने का उल्लेख नहीं है।
27. कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
28. मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य कारणों से होने वाली वन प्राणियों के मौत के पश्चात् भी इनके संरक्षण हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
30. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटना दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसे रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
32. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
34. सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुराने बकाया राशि माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

35. गरीब परिवारों के लिए एक वर्ष में 4 एलपीजी गैस सिलेण्डर मुफ्त प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

36. अब तक कितनी घर पहुंच सरकारी सेवाएं चालू की गई, का उल्लेख नहीं है।

37. योग एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

38. आउट सोर्सिंग किस–किस विभाग में कहाँ–कहाँ बंद हुई का उल्लेख नहीं है।

39. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण करने में शासन असफल रहा है।

40. प्रदेश में रॉयल्टी चोरी करने का उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश में सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों से समर्थन मूल्य में सरकार इस खरीदी सीधी नहीं कर रहे हैं।

42. प्रदेश में सिंचाई रकबा दुगना करने का उल्लेख नहीं है।

43. अधिवक्ता कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

44. पुलिस कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

45. नगर सैनिकों के वेतन वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

46. प्रत्येक सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षक नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है।

47. छत्तीसगढ़ में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।

48. विद्यामितान जो कि छत्तीसगढ़ के नागरिक है की नियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
2. युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।